

नेशनल हैल्थ मिशन (NHM) के अन्तर्गत

Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO)

के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु

सूचना विवरणिका



आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून,

पिन- 248001 उत्तराखण्ड, भारत

दूरभाष 0135-2273323

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई-मेल : info.hnbumu@gmail.com

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) के रिक्त पदों पर integrated Curriculum of B.Sc Nursing & Post basic nursing Course से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची तैयार कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड को चयन संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) की लिखित परीक्षा हेतु निम्नानुसार समय-सारणी निर्धारित की गई है:-

Important dates for Mid Level Health Provider (MLHP/Community Health Officer (CHO) Entrance Examination:

1	ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	25.02.2021 (अपरान्ह 02:00 बजे) से 08.03.2021 (साय 05:00 बजे तक)
2	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ ऑनलाईन शुल्क जमा करना	
3	वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	09.03.2021 को अपरान्ह: 01:00 बजे से
4	लिखित परीक्षा की तिथि	14.03.2021 प्रातः 11:00 से अपरान्ह 01:00 बजे तक
5	परीक्षा परिणाम घोषित	16.03.2021
6	मेरिट के आधार पर तैनाति हेतु मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं काउन्सिलिंग	एन0एच0एम उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित की जायेगी।

नोट: हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित कर मेरिट सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराये जाने तक सीमित होगा। M.L.H.P.\C.H.O. के पदों की संख्या/निर्धारित मानदेय एवं नियुक्ति का स्थान के संबंध में समस्त निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (N.H.M.) उत्तराखण्ड द्वारा लिए जायेंगे।

1. सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होंगी-

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2. शैक्षणिक अर्हताएं :-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider/ Community Health Officer की नियुक्ति की जानी है। Mid Level Health Provider/ Community Health Officer की शैक्षिक योग्यता बी0एस-सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस-सी0 नर्सिंग (integrated CPHC Curriculum) है। राज्य के समस्त नर्सिंग कालेज (पब्लिक, प्राईवेट एवं एम्स ऋषिकेश) से उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों जोकि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के धारक हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होंगे।
- उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी है, परन्तु दूसरे राज्यों से उपरोक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो Mid Level Health Provider/ Community Health Officer के पद हेतु अर्ह होंगे।

3. आयु सीमा

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 पदों हेतु न्यूनतम 21 वर्ष दिनांक 01.01.2021 को पूर्ण होनी आवश्यक है, एवं अधिकतम आयु सीमा 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

4. पंजीकरण शुल्क:-

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन पंजीकरण शुल्क रुपया 200/- (दो सौ) निर्धारित की गयी है, जो नॉन रिफनडेबल होगा।

5. ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्विजिट/विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे अन्यथा अभ्यर्थी के उक्त श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा। आरक्षण (EWS/SC/ST/OBC) सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य से जारी होने अनिवार्य है तथा आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

6. लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया:-

- सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 प्रवेश परीक्षा-2021 लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानकानुसार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा समय 02 घंटे निर्धारित किया गया है।
- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे जो कि बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम से होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वोपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा उत्तर नहीं देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।

- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- लिखित परीक्षा की उत्तरशीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

7. आरक्षण

- अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 प्रवेश परीक्षा-2021 हेतु अनुमन्य होगा।
- किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, आवेदन करने की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
- ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020-21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व सैनिक से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निमृक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरिटरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं- (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले, (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। (चयन प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।)

- “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित” से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

8. परीक्षा केन्द्र

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 2021 में लिखित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
हल्द्वानी	2

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरना होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं है। परन्तु विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। एक बार आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. तैनाती स्थल हेतु सीट मैट्रिक्स

सी0एच0ओ0/एम0एल0पी0एच0 लिखित प्रवेश परीक्षा-2021 में चयनित अभ्यर्थियों हेतु पदों की संख्या के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आरक्षण रोलर के आधार पर सीट मैट्रिक्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसकी सूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पृथक से वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

10. न्यायिक विवाद :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत Mid Level Health Provider/ Community Health Officer परीक्षा 2021 से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होंगे।

परीक्षा नियंत्रक
हे0न0ब0चि0शि0 विश्वविद्यालय

IMPORTANT INFORMATION REGARDING MLHP/CHO

This Post is a part of an initiative under the Ayushman Bharat to Strengthen Sub-Centers as Health and Wellness Centers (H&WCs) for improved implementation of public health programmes and to enable comprehensive primary health care service delivery, including disease prevention and health promotion. Successful candidates shall be posted at Sub-Centers as MLHP/CHOs to lead a primary health team consisting of frontline workers such as Female Health Workers (ANMs), Male Health Worker (MPWs) and ASHAs.

1. Successful candidates will be allotted district for posting as MLHP/ CHO on the basis of Merit List for allotment of district and the order of preference for choice of district to be given by candidate. After allotment of district, District Health Society will give posting in Health & Wellness Centres on the basis of District wise Merit List.
2. After joining as MLHP/CHO in HWC, the fixed consolidated remuneration will be **Rs 25,000/- per month plus variable performance based incentive maximum up to Rs 15,000/- per month**. The employment will be purely contractual under National Health Mission, Uttarakhand.

Roles: The Mid- Level Health Provider would broadly be expected to carry out public health functions, ambulatory care, management and provide leadership at the HWCs. They would be responsible for the following:

1. Ensure that all households in the service areas are listed empanelled and a database is maintained- in digital format/ paper format as required by the state.
2. Provide clinical care as specified in the care pathways and standard treatment guidelines for the range of services expected of the HWC.
3. Clinical care provision would include coordinating for care/ case management for chronic illnesses based on the diagnosis and treatment plan made by the Medical Officer/specialists who will initiate treatment for chronic diseases, dispense drugs as per standing orders by the medical officer.
4. Such coordination could be facilitated through processes such as telehealth .
5. Focus attention in screening for chronic conditions on screening, enabling suspected cases confirmed and initiating treatment based on appropriate STGs or on basis of plans made by medical officer/specialists. As a team, ensure adherence, along with counselling and support as needed for primary and secondary prevention efforts. Such chronic conditions would include both non -communicable diseases and the chronic communicable diseases of tuberculosis, leprosy and HIV.
6. Coordinate and lead local response to diseases outbreaks, emergencies and disaster situations and support the medical team or joint investigation teams for disease outbreaks.
7. Support the team of MPWs and ASHAs on their tasks, including on the job mentoring, support and supervision and undertaking the monitoring, management, reporting and administrative functions of the HWC such as inventory management, upkeep and maintenance, and management of untied funds.

8. Support and supervise the collection of population based data by frontline workers, collate and analyse data for planning and report the data to the next level in an accurate and timely fashion Use HWC and population data to understand key causes of mortality, morbidity in the community and work with the team to develop a local action plan with measurable targets, including a particular focus on vulnerable communities.
9. Coordinate with community platforms such as the VHSNC/MAS/SHGs and work closely with PRI/ULB, to address social determinants of health and promote behaviour change for improved health outcomes.
10. Address issues of social and environmental determinants of health with extension workers of other departments related to gender based violence, education, safe potable water, sanitation, safe collection of refuse, proper disposal of waste water, indoor air pollution, and on specific environmental hazards such as fluorosis, silicosis, arsenic contamination, etc.
11. Guide and be actively engaged in community health promotion including behaviour change communication

(Format for certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MLPH to be submitted at the time of counselling)

(For candidate who has completed B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc Nursing along with Integrated Certificate Course in Community health (CCH))

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/Ms/Mrs..... University enrolment no..... Roll no..... son/daughter/wife of has completed B.Sc Nursing/Post Basic B.Sc Nursing along with Integrated Certificate course in Community health as per notification of Indian Nursing Council/ University/State Nursing council

Dated.....

Signatures with seal